संख्या-11/2025/2087/22-2-2023-17(1015)/2022

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 09 जनवरी, 2025

विषय:- जिला कारागार, खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विवेक शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा, निवासी-मौ0 पश्चिमी दीक्षितान, कस्वा व थाना-गोला, जिला-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-12154/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-16.03.2023), दिनांक 13.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विवेक शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा, निवासी-मौ0 पश्चिमी दीक्षितान, कस्वा व थाना-गोला, जिला-लखीमपुर खीरी का निवासी है। दिनाँक 19.11.2005 को बन्दी ने पेट्रोल पम्प सीज करने की रंजिश में अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, पिस्टल व रिवाल्वर से गोली मारकर सेल्स ऑफिसर इंडियन ऑयल मंजू नाथ नामक 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-292/2006, भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149,201,120बी, 411 आईपीसी में मा0 सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरीके आदेश दिनाँक 26.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनाँक 11.02.2009 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 11.03.2015 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.01.2023 तक 17 वर्ष 01 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 10 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी विवेक शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा, जिला-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि दिनाँक 19.11.2005 को बन्दी ने पेट्रोल पम्प सीज करने की रंजिश में अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, पिस्टल व रिवाल्वर से गोली मारकर सेल्स ऑफिसर इंडियन ऑयल मंजू नाथ नामक 01 व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाएगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विवेक शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्माकी फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विवेक शर्मा (बन्दी संख्या-162/2007) पुत्र राधेश्याम शर्मा, निवासी जिला-लखीमपुर खीरी की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-11/2025/2087(1)/22-2-2023-17(1015)/2022,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखीमपुर खीरी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-11/2025/2087/22-2-2023-17(1015)/2022

दिनांकः09 जनवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विवेक शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा, निवासी-मौ0 पश्चिमी दीक्षितान, कस्वा व थाना-गोला, जिला-लखीमपुर खीरी का निवासी है। दिनाँक 19.11.2005 को बन्दी ने पेट्रोल पम्प सीज करने की रंजिश में अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, पिस्टल व रिवाल्वर से गोली मारकर सेल्स आँफिसर इंडियन आँयल मंजू नाथ नामक 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-292/2006, भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149,201,120बी, 411 आईपीसी में मा0 सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरीके आदेश दिनाँक 26.03.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनाँक 11.02.2009 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 11.03.2015 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.01.2023 तक 17 वर्ष 01 माह 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 10 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी विवेक शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा, जिला-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि दिनाँक 19.11.2005 को बन्दी ने पेट्रोल पम्प सीज करने की रंजिश में अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, पिस्टल व रिवाल्वर से गोली मारकर सेल्स आँफिसर इंडियन आँयल मंजू नाथ नामक 01 व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जाएगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विवेक शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्माकी फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in